

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

पत्रांक :31 / प्र0अ0-भवन / जोन-3 / शमन / 2014-15 दिनांक 27 / 12 / 2014

विनियमितीकरण-पत्र

यह विनियमितीकरण उ0प्र0 नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 32 के अन्तर्गत दी जा रही है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर व्यवसायिक/आवासीय शमन निर्माण विनियमित किया जा रहा है, इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मित्कियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।







श्री राकेश कुमार वैश्य पुत्र स्व0 प्रेम चन्द्र वैश्य द्वारा मकान नं0-263/581 दारागंज इलाहाबाद जोन संख्या (3) के अन्तर्गत दाखिल विनियमितीकरण मानचित्र के क्रम में निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15ए (1) के प्राविधानों के अनुरूप पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही उपभोग/अधिभोग किया जायेगा, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 में उपविधि संख्या-2.1.8 एवं 3.1.8 में निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
2. यह स्वीकृति अनन्तिम (Provisional) स्वीकृति के रूप में होगी। निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त, सभी आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C की शर्तें पूर्ण करने के पश्चात्, निर्गत किये जाने वाले 'पूर्णता प्रमाण-पत्र' प्राप्त करने के बाद ही इस परिसर को वास्तविक उपयोग में लाया जा सकेगा।
3. स्थल पर 4X3 फिट का एक बोर्ड लगाकर प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्र सम्बन्धी विवरण अंकित करना अनिवार्य होगा, जिसमें आर्किटेक्ट/इन्जीनियर के फर्म का नाम भी अंकित हो।
4. स्थल पर 01 अदद वृक्ष लगाने होंगे तथा वृक्षों को हरा-भरा रखने का दायित्व आवेदक का होगा।
5. स्थल का अधिभोग/उपयोग स्वीकृत प्रस्तावना के अनुसार ही करना होगा।
6. अवरस्थापना सुविधाओं के परिप्रेक्ष्य में नगर आयुक्त, नगर निगम द्वारा मानचित्र की स्वीकृति के क्रम में भवस्थि में यदि कोई वित्तीय देयता/प्रतिबन्ध आरोपित किये जाते हैं तो उसका भुगतान/अनुपालन आवेदक को करना बाध्यकारी होगा।
7. माननीय न्यायालय में कोई वाद होने अथवा उत्पन्न होने की स्थिति में प्रदत्त स्वीकृति माननीय न्यायालय के निर्णय के अधीन होगी। यह स्वीकृति भू-स्वामित्व का अधिकार प्रदान नहीं करती है। भू-स्वामित्व सम्बन्धी कोई भी विवाद सक्षम न्यायालय/प्राधिकारी द्वारा ही निस्तारित किया जा सकता है।
8. यदि आवेदक द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपायी गयी है अथवा गलत सूचना दी गयी है तो उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 (9) के अन्तर्गत मानचित्र निरस्त करने योग्य होगा।
9. मकान निर्माण से यदि नाली के सड़क की पटरी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो मकान के आग्र भाग, पृष्ठ भाग अथवा उसके आकार के कारण ढक गई हो) को हानि पहुँचे तो गृहस्वामी तैयार हो जाने पर 15 दिन के भीतर अथवा यदि विकास प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा और शीघ्र कहा तो पहले ही उसे अपने खर्चे से मरम्मत कराकर पूर्ववत् अवस्था जिससे विकास प्राधिकरण को सन्तोष हो जाय, में कर देगा।
10. गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 (इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 1965) नियम 82 का उल्लंघन किसी भी दशा में न होना चाहिए। यदि विकास प्राधिकरण की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह ऐसे निर्माण को रोक अथवा हटवा सकता है।
11. आवेदक को नियमानुसार विकास प्राधिकरण को मकान की नींव तक तथा छत तक बन जाने एवं उसके पूर्ण हो जाने की सूचना मकान आबाद होने से पूर्व देना होगा तथा उस आदमी का नाम भी देना होगा जिसके निरीक्षण में मकान निर्मित हुआ है।
12. यदि निर्माण में मास्टर प्लान का उल्लंघन होता पाया गया तो निर्माणकर्ता को दी गई स्वीकृति रद्द समझी जायेगी और किया गया निर्माण अनधिकृत घोषित कर उक्त अधिनियम की धारा 27 (1) के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।

(पुष्कर श्रीवास्तव)

प्रभारी अधिकारी (त0स0-2)

श्री राकेश कुमार वैश्य पुत्र स्व0 प्रेम चन्द्र वैश्य
द्वारा
27/12/14



OWNER :-
 SRI, RAKESH KR. VAISH,
 S/O LATE PREM CHANDRA VAISH.

COMPOUNDING & PROPOSED COMMERCIAL CUM RESIDENTIAL PART OF HOUSE NO. 263/581 MOHALLA DARAGANJ, ALLAHABAD.

SCALE 1:100

NOTE :-
 LIME CONCIN FOUNDATION FLOORING OVER R.C.C SLAB
 COMPOUNDING WORK SHOWN THUS EXISTING WORK SHOWN THUS

It is certified that the building plan has been prepared according to Master Plan 2021/ Zonal Plan and Bhuvan Uprvithi 2012

Dr. V. K. Mishra
 B.Tech. CIVIL
 Vinyay Engineers & Architects
 G-39, Indira Bhawan, 1st Floor, 6th Cross, Sector-17, Gurgaon, Haryana
 Ph: 9911321149

SIG. OF OWNER

SIG. OF ENG.

NET PLOT AREA = 146.90m²

| BAZAR STREET | RESIDENTIAL STREET |
|---|---|
| TOTAL AREA 101.50 m ² | TOTAL AREA 83.90m ² |
| R/W AREA 38.50 m ² | G.F. COV. AREA (83.02 m ² (74.5%)) |
| NET AREA 63.00 m ² | F.F. COV. AREA 52.31m ² " |
| G.F. COV. AREA 21.00 m ² (33.3%) | S.F. COV. AREA (66.55 m ² " |
| S.F. COV. AREA 21.00 m ² " | ACHIEVED F.A.R 1/73 |

TOTAL PLOT AREA = 185.40 sq. m.
 ROAD WIDENING AREA = 38.50 sq. m.
 NET AREA OF PLOT = 146.90sqm
 AREA OF MUMITY = 10.05 "
 OPEN AREA ON G.F = 63.00 "
 ACHIEVED F.A.R = 1.31

31/08/2021
 2021/12/20/19

5/12/19